न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 47/2021 (Rcms No:-2021/39)

उनवानी प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

————————————————प्रार्थी।

बनाम

कुमरपाल पुत्र होतमसिंह (मृत)
1–रामवती पत्नी स्व0 कुमरपाल
2–पदमसिंह / पुत्रगण
3–महावीर / स्व0 कुमरपाल
4–दिनेश /

————————————————अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–
प्रार्थी की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि0।
अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री राजेन्द्र सिंह राना एडवोकेट।

निर्णय **दिनांक :–08.02.2022**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी होतम पुत्र छीतरिया जाति कुम्हार निवासी ग्राम छावनी तहसील धौलपुर को राजस्व ग्राम झोर में आराजी खसरा नम्बर 68/401 रकवा 01 बीघा दिनांक 26.06.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 45 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। कुमरपाल पुत्र होतम जाति कुम्हार(मृत) के वारिसान अप्रार्थीगण है। अतः आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 26.06.1976 बहक होतम के पक्ष ग्राम झोर का आराजी खसरा नम्बर 68/401 में हुआ आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मौका पर्चा, रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी, नकल नामान्तकरण पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह राना अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष होतम को विधिवत आवंटन वर्ष 1976 में खसरा नम्बर 68 बांके ग्राम झोर में से 01 बीघा जमीन के बावत हुआ था। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष होतम एक भूमिहीन कृषक थे और आवंटन के पात्र थे इसी कारण उन्हें आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष ने न तो fraud play करके आवंटन कराया था और नहीं किसी प्रकार का mis representation के आधार पर ही आवंटन कराया था। आवंटन के तुरन्त बाद ही आवंटी होतम ने आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और नियमानुसार काश्त किया जब तक स्व0 होतम जीवित रहे तब तक उन्होने आवंटित भूमि को काश्त किया। आवंटी होतम के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी कुमरपाल पुत्र होतम ने आवंटित भूमि को काश्त किया जब तक कुमरपाल जीबित रहे उन्होने काश्त किया तत्पश्चात कुमरपाल के निधन के बाद अप्रार्थीगण जो कि मृतक कुमरपाल के वारिसान है आवंटित कृषि भूमि पर काबिज है। आंबटी मृतक होतम के द्वारा सभी नियमों का विधिवत पालन किया है तथा अपनी महनत एवम लागत से आवंटित भूमि को उपयोगी बनाया है। अब करीबन 45 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इतने लम्बे समय बाद किसी टेकनीकल आधार पर यदि आवंटन को निरस्त किया जाता है तो हम उत्तरदातागण के बिपरीत अन्याय होगा। आवंटी को निर्धारित अवधि 3 वर्ष के बाद अधिकार खातेदारी श्रजित हो जाते है मगर अभी तक नियम बिरूद्व गैरखातेदार ही दर्ज कर रखा है। अधिकार खातेदारी का श्रजन हो जाने के बाद आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2041 से 2044 बांके ग्राम झोर तहसील धौलपुर की प्रमाणित प्रति पेश की है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पुर्व पुरूष होतम को दिनांक 26.06.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा विवादित आराजी का आवंटन किया गया था जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 45 वर्ष वाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। आवंटी

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

के द्वारा वर्तमान में भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है व आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार विवादित आराजी पर आवंटी के वारिसान का कब्जा नहीं है और ना ही कोई फसल बोई गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन वर्ष 1976 का है तथा उसको निरस्त कराने के लिये करीबन 45 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्ती आवंटन इस आधार पर किया गया है कि आवंटन नियमों की पालना में पूरी जमीन पर काश्त नहीं की है इसलिये आवंटन निरस्त किया जावे। अप्रार्थी ने अपनी ओर से जो नकल खसरा प्रस्तुत की है उसमें आवंटित भूमि के पूरे रकबा 01 बीघा पर गेंहू की फसल दर्ज है जिससे सरकार की आपत्ति गलत प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह आदेश पारित किया है कि काश्त नहीं करने के आधार पर कोई प्रार्थना पत्र, आवंटन के तीन वर्षो के अन्दर ही प्रस्तुत हो जाना चाहिऐ, सरकार की ओर से आवंटन के 45 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बध में डी एन जे 2018(2)पेज 726 न्यायिक दृष्टान्त पेश है। लम्बे समय के बाद आवंटन को निरस्त किया जाना न्याय के साथ मजाक माना जाता है। आर आर टी 2019(2)पेज 838 न्यायिक दृष्टान्त पेश है। यदि यह आरोप नहीं है कि आवंटन fraud के आधार पर लिया गया है तथा विधि अनुसार कमैटी द्वारा आवंटन किया गया है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जावेगा। इस सम्बध में आर आर टी 2021(2) पेज 1029 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर सरकार का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने एवं प्रस्तुत नजीरों का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि प्रार्थी सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी आवंटी पर यह आक्षेप लगाया है कि उसके द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन होने/कब्जा देने के 45 वर्ष बाद भी काश्त नहीं की है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन के 2 वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना था। इस सम्बध में अप्रार्थीगण द्वारा नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2041 से 2044 ग्राम झोर प्रस्तुत की गई है जिसमें सम्बत 2041 में 01 बीघा रकवा पर ग्रेहूॅ की फसल, सम्बत 2042, 2043 में पडत तथा सम्बत 2044 में 01 बीघा रकवा पर अर्थात पूरे रकवा पर सरसों की फसल आवंटी के नाम दर्ज हो रही है। इससे प्रमाणित है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लधंन नहीं किया है। आवंटी को आवंटित भूमि का आवंटन 26.06.1976 को हुआ एवं उसके पश्चात आवंटन नियमों की पालना करने तथा कब्जा होने की स्थिति में आवंटी को आवंटित भूमि पर नामान्तकरण संख्या 11 से गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है। आर आर टी 2021(2) पेज 1029 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि यदि यह आरोप नहीं है कि आवंटन fraud के आधार पर लिया गया है तथा विधि अनुसार कमैटी द्वारा आवंटन किया गया है तो आवंटन निरस्त नहीं किया जावेगा। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी एन जे 2018(2)पेज

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

726 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह आदेश पारित किया है कि काश्त नहीं करने के आधार पर कोई प्रार्थना पत्र, आवंटन के तीन वर्षो के अन्दर ही प्रस्तुत हो जाना चाहिऐ जबकि सरकार की ओर से आवंटन के करीवन 45 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा विवादित आराजी अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 26.6.1976 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर

(आर0के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर